



क्रमांक : म.प्र.वि.नि.आ./ 2022/2740

भोपाल दिनांक 28/12/2022

सार्वजनिक सूचना
(याचिका क्र. 83/2022)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 (आरजी-35 (II) वर्ष 2015)" (एतदपश्चात जिसे विनियम उल्लेखित किया गया है), तथा इसके संशोधन अधिसूचित किये गये थे।

याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.) जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.) भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.) इंदौर व एम.पी. पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (एतद पश्चात जिन्हें याचिकाकर्ता अथवा पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी व एम.पी.पी.एम.सी.एल. उल्लेखित किया गया है) मध्य प्रदेश शासन की पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां हैं। एम.पी. पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी लि. जबलपुर राज्य की उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है।

याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता जिसे आयोग ने याचिका क्रमांक 05/2021 में आदेश दिनांक 30 जून 2021 पारित कर अनुज्ञेय किया था, के सत्यापन हेतु याचिका दायर की है। आयोग ने दिनांक 06.12.2022 को आयोजित सुनवाई में इस याचिका को स्वीकार किया है। आयोग ने एतद द्वारा उक्त याचिका पर सुझावकर्ताओं के सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता के सत्यापन हेतु प्रस्तुत याचिका का सारांश निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.	विवरण	अवधारित टैरिफ आदेशानुसार				याचिका में प्रस्तुत वास्तविक दावा				विवरण
		पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	राज्य (A)	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	राज्य (A)	
	(i) बिजली खरीद लागत (पीजीसीआईएल शुल्क सहित)	8,207.11	7,931.48	14,516.71	30,655.30	8,906.44	9,833.24	14,617.47	33,357.16	(2,701.86)
	(ii) पारेषण लागत (एस. एल.डी.सी. शुल्क सहित)	1,204.83	1,434.79	1,446.06	4,085.68	1,287.38	1,685.73	1,744.92	4,718.04	(632.36)
1	बिजली खरीद लागत (पीजीसीआईएल एवं एम. पी. ट्रांसको शुल्क सहित)	9,411.94	9,366.27	15,962.77	34,740.98	10,193.82	11,518.98	16,362.40	38,075.19	(3,334.21)
2	संचालन एवं संधारण व्यय (एमपीईआरसी शुल्क सहित)	1,536.68	1,487.35	1,379.64	4,403.67	1,253.08	1,251.02	1,303.39	3,807.49	596.18
3	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	395.10	490.42	202.81	1,088.32	351.75	495.80	247.24	1,094.79	(6.47)
4	अवधारण या अवमूल्यन	209.76	268.38	127.60	605.73	262.02	352.06	309.67	923.75	(318.02)
5	अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	360.92	407.38	217.64	985.95	254.80	282.95	187.55	725.30	260.65
6	डूबन्त ऋण	2.00	2.00	2.00	6.00	-	1.12	2.00	3.12	2.88
7	अन्य व्यय				-		-	2.09	2.09	(2.09)
8	सकल ए.आर.आर.	11,916.39	12,021.81	17,892.46	41,830.66	12,315.47	13,901.92	18,414.33	44,631.72	(2,801.06)
9	घटाये: अन्य आय	290.20	314.46	150.30	754.97	91.84	207.92	195.97	495.73	259.24

10	जोड़ें: एम.पी. ट्रांसको के वित्त वर्ष 2018-19 के टू-अप का प्रभाव	242.04	257.83	310.16	810.03				-	810.03
11	जोड़ें: एमपी जेनको के वित्त वर्ष 2018-19 के टू-अप आर्डर का रेवेन्यू सरप्लस	(109.82)	(145.12)	(137.27)	(392.21)				-	(392.21)
12	जोड़ें: वितरण कंपनियों के वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2017-2018 के टू-अप आदेशों का राजस्व अंतर	1,237.19	2,387.70	(2,401.10)	1,223.79	1,237.19	1,605.01	(1,618.41)	1,223.79	-
13	जोड़ें: वितरण कंपनियों के वित्त वर्ष 2018-19 के टू-अप आदेश का राजस्व अंतर	356.32	619.31	(1,290.49)	(314.86)	356.32	619.31	(1,290.49)	(314.86)	-
14	नेट ए.आर.आर. (14=8-9+10+11+12+13)	13,351.92	14,827.07	14,223.46	42,402.44	13,817.14	15,918.32	15,309.46	45,044.92	(2,642.48)
15	बिजली विक्रय से प्राप्त राजस्व	13,351.92	14,827.07	14,223.46	42,402.44	11,380.93	13,961.71	16,426.40	41,769.04	633.40
16	सकल राजस्व कमी/ (आधिक्य) (16=14-15)					2,436.21	1,956.61	(1,116.94)	3,275.88	(3,275.88)

इच्छुक व्यक्ति सत्यापन याचिका प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी/सुझाव/आपत्ति तीन प्रतियों में सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कॉलोनी, बिटठन मार्केट, भोपाल-462 016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक **19.01.2023** तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की प्रति संबंधित वितरण कंपनी एवं एम.पी.पी.एम.सी.एल. को ई-मेल setracez@yahoo.co.in (पूर्व क्षेत्र), cecomwz@gmail.com (पश्चिम क्षेत्र) एवं regulatorycelcz@gmail.com (मध्य क्षेत्र) एवं cgmrmppmcl@gmail.com (एमपीपीएमसीएल) के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती है, जिनकी मूल प्रतियाँ दिनांक 19.01.2023 तक नियामक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। दिनांक 19.01.2023 के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियाँ/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

याचिका की प्रति (अंग्रेजी/हिन्दी रूपांतरण) इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक **30.12.2022** से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लि. ब्लॉक नं. 15, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर अथवा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर अथवा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. पोलोग्राउन्ड, इंदौर अथवा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. गोविन्दपुरा, भोपाल से एक प्रति के लिए रु. 500/-के भुगतान नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट देय "उप महाप्रबंधक (लेखा) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.कं. लि., जबलपुर" अथवा "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पश्चिम क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर", "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. मध्य क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल", क्रमशः के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति डाक द्वारा रु. 100/-के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति नियामक आयोग की वेबसाइट www.mperc.in तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट www.mppmcl.com, www.mpez.co.in, www.mpwz.co.in एवं www.mpcz.co.in पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है।

आयोग द्वारा दिनांक 27.01.2023 को प्रातः 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. आयोग सचिव को ई-मेल **secretary@mperc.nic.in** पर भेज कर, उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव